भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2517

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

जमाकर्ताओं के धनराशि की वापसी

2517. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहकारी ऋण समितियों, निवेश कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में नागरिकों द्वारा निवेश की गई बड़ी राशि ऐसी संस्थाओं के बंद होने अथवा चल रही परिसमापन कार्यवाही के कारण कई वर्षों से ब्लॉक है;

(ख) यदि हां, तो जमाकर्ताओं की धनराशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और निवेशकों को पुनर्भुगतान करने के लिए ऐसी संस्थाओं की परिसंपत्तियों की कुर्की और बिक्री के संबंध में क्या नीति है;

(ग) क्या कई निवेशकों को केवल आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो शेष राशि के भुगतान की समयबद्ध योजना क्या है;

(घ) परिसमापकों द्वारा होने वाले विलंब को रोकने और जमाकर्ताओं को समय पर न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार निवेशकों की बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों के समन्वय से ऐसे मामलों की दिन-प्रतिदिन सुनवाई और त्वरित निपटान के लिए त्वरित न्यायालयों या विशेष न्यायालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): (i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। अधिनियम में निक्षेपों की स्वीकृति, निक्षेपकर्ताओं के हितों के संरक्षण तथा चूक की स्थिति में प्रवर्तन हेतु कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। निक्षेप स्वीकार करने वाली कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है। अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, जहाँ अपेक्षित हो, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ii) शासकीय समापकों (ओएल) की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448(1) के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनिवार्य रूप से समापन हेतु आदेशित कंपनियों के समापक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए की जाती है। चूँकि ओएल माननीय उच्च न्यायालय का अधिकारी होता है, अतः निक्षेपधारकों को धनराशि का वितरण सहित सभी कार्यवाहियाँ, जो अंततः कंपनी के विघटन तक ले जाती हैं, माननीय उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण में ओएल द्वारा संपादित की जाती हैं।

(iii) आईबीसी में कारपोरेट व्यक्तियों के पुनर्गठन, दिवाला समाधान तथा समापन के लिए एक समेकित ढांचा का प्रावधान है। धारा 227 के अंतर्गत, आईबीसी केंद्र सरकार को दिवाला तथा समापन कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) तथा उनकी श्रेणियों को अधिसूचित करने में सक्षम बनाता है।

अब तक, आईबीसी के तहत चार एफएसपी के लिए सीआईआरपी प्रक्रिया से समाधान निकले हैं और का मामला आईबीसी के तहत चल रहा है। किसी भी वित्तीय सेवा प्रदाता (एफएसपी) के लिए आईबीसी के तहत परिसमापन का आदेश नहीं दिया गया है।

(iv) सहकारिता मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 (एमएससीएस अधिनियम, 2002) के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियाँ स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य करती हैं तथा अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ऐसी समितियों के कार्यकलाप एमएससीएस अधिनियम, 2002, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उनके अनुमोदित उपविधियों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

समापनाधीन सहकारी समितियों का विवरण, समापकों की शक्तियों तथा पुनर्भुगतान का विवरण अनुलग्नक - क में प्रदान किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर के दृष्टिगत, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक क

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2517 के भाग (क से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समापनाधीन सहकारी समितियों का विवरण, समापकों की शक्तियाँ तथा पुनर्भुगतान का विवरण:

वर्तमान में 115 बहु-राज्य सहकारी समितियाँ समापनाधीन हैं। एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 90 के अंतर्गत, समापक को समिति की परिसंपत्तियों की वसूली, देयताओं का निपटान तथा पात्र निक्षेपकर्ताओं/सदस्यों एवं अन्य हितधारकों के मध्य परिसंपत्तियों के वितरण के उपरांत निक्षेपकर्ताओं को उनकी निक्षेपित धनराशि का पुनर्भुगतान करने का अधिकार प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, सहारा सहकारी समितियों समूह के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुसरण में, "सहारा-सेबी रिफंड खाते" में उपलब्ध ₹24,979.67 करोड़ की राशि में से ₹10,000 करोड़ वास्तविक निक्षेपकर्ताओं को वितरण हेतु केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (सीआरसीएस) को हस्तांतरित किए गए हैं। वास्तविक निक्षेपकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ 18.07.2023 को किया गया। 28 जुलाई, 2026 तक, सहारा की चार सहकारी समितियों के लगभग 41.50 लाख निक्षेपकर्ताओं को लगभग ₹9,265 करोड़ का पुनर्भुगतान किया जा चुका है।